कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांकः— सहायता / लेखा / 2025 / 2473 दिनांकः— 04/09/2025

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति</u>

शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.8(09)आप्रएवंसहा / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज 17529631 दिनांक 03.09.2025 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 27 / 2025–2026 की पालना में मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा / बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु सानिवि खण्ड नागौर तहसील नागौर के 64 कार्यो हेतु राशि 292.39 लाख, सानिवि खण्ड नागौर तहसील खींवसर के 56 कार्यो हेतु राशि 139.63 लाख, सानिवि खण्ड डेगाना तहसील डेगाना के 88 कार्यो हेतु राशि 259.19 लाख, सानिवि खण्ड डेगाना तहसील रियांबडी के 26 कार्यो हेतु राशि 120.79 लाख, सानिवि खण्ड मेड़ता तहसील मेड़ता के 67 कार्यो हेतु राशि 226.14 लाख, सानिवि खण्ड मेड़ता तहसील रियांबडी के 26 कार्यो हेतु राशि 92.20 लाख, सानिवि खण्ड जायल तहसील डेह के 34 कार्यो हेतु राशि 100 लाख, सानिवि खण्ड जायल तहसील जायल के 35 कार्यो हेतु राशि 123.87 लाख, सानिवि खण्ड जायल तहसील मूण्डवा के 18 कार्यो हेतु 62.32 लाख कुल 414 कार्यो हेतु राशि 1416.53 लाख **(अक्षरे चौदह करोड सौलह लाख तिरेपन हजार रूपये मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

1. विभाग द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा. नि. विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के रेस्टोरेशन पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. स्वीकृत कार्यो के लिए बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरांत ऑनलाईन की जावेगी।
4. बिलों का भुगतान कार्यालय स्तर पर किया जावेगा।
5. वे सड़के जो Defect Liability period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair and periodical repair (15 / 20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरांत ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.04 1?:03:42 IST
Reason: Approved

7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
8. कार्यकारी एजेन्सी का यह दायित्व है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरांत बिल विपत्र कार्यालय हाजा को मय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण–पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगे।
12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा योजना दिशा–निर्देश तत्सम्बधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
13. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते में आहरण नहीं किया जावेगा।
14. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावेगी।
15. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कर्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्या एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

Signature valid
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.04 1[illegible]:03:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17570252

क्रमांकः– सम / 2025 / 2474-78 दिनांकः– 4/09/2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर।
3. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला नागौर।
4. कोषाधिकारी, नागौर।
5. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी..

****** सानिवि खण्ड नागौर तहसील नागौर के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यो के क्र.सं. 4 में ओडीआर सड़क हेतु राशि 8.40 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। कुल 65 कार्यो में से 01 कार्य कम करते हुए शेष 64 कार्यो हेतु राशि 292.39 लाख स्वीकृत किये गये है।

****** सानिवि खण्ड मेड़ता तहसील मेड़ता के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यो के क्र.सं. 06 में Leftout portion सड़क हेतु राशि 4.67 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। कुल 68 कार्यो में से 01 कार्य कम करते हुए शेष 67 कार्यो हेतु राशि 226.14 लाख स्वीकृत किये गये है।

****** सानिवि खण्ड मेड़ता तहसील रियांबडी के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यो के क्र.सं. 04 में Leftout portion सड़क हेतु राशि 5.23 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। कुल 27 कार्यो में से 01 कार्य कम करते हुए शेष 26 कार्यो हेतु राशि 92.20 लाख स्वीकृत किये गये है।

नोटः– नगर परिषद नागौर के सड़क मरम्मत के प्रस्तावो में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया है उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है, उक्त वर्षा अत्यधिक वर्षा की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये।

जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.04 15:03:42 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(09)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 27/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **नागौर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2075 दिनांक 07.08.2025 के आधार पर सानिवि खण्ड, नागौर तह. नागौर के 64 कार्य हेतु राशि रूपये 292.39 लाख, सानिवि खण्ड, नागौर तह. खींवसर के 56 कार्य हेतु राशि रूपये 139.63 लाख, सानिवि खण्ड, डेगाना तह. डेगाना के 88 कार्य हेतु राशि रूपये 259.19 लाख, सानिवि खण्ड, डेगाना तह. रियांबडी के 26 कार्य हेतु राशि रूपये 120.79 लाख, सानिवि खण्ड, मेडता तह. मेडता के 67 कार्य हेतु राशि रूपये 226.14 लाख, सानिवि खण्ड, मेडता तह. रियांबडी के 26 कार्य हेतु राशि रूपये 92.20 लाख, सानिवि खण्ड, जायल तह. डेह के 34 कार्य हेतु राशि रूपये 100.00 लाख, सानिवि खण्ड, जायल तह. जायल के 35 कार्य हेतु राशि रूपये 123.87 लाख, सानिवि खण्ड, जायल तह. मूण्डवा के 18 कार्य हेतु राशि रूपये 62.32 लाख, **कुल 414 कार्यों हेतु राशि रूपयें 1416.53 लाख (अक्षरे रूपये चौदह करोड़ सौलह लाख तिरेपन हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा. नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे सड़कें जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

RajKaj Ref No.: 17529631
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:08:16 IST
Reason: Approved

8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–
2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
106– खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]– [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध
(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमत्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।
12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
13. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
14. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
15. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:08:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17529631
eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   सानिवि खण्ड, नागौर तह. नागौर के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 04 में ODR सड़क हेतु राशि 8.40 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। कुल 65 कार्यों में से 01 कार्य कम करते हुए शेष 64 कार्यों हेतु राशि रू. 292.39 लाख स्वीकृत किये गये है।

   सानिवि खण्ड, मेडता तह. मेडता के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 06 में Leftout Portion सड़क हेतु राशि 4.67 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। कुल 68 कार्यों में से 01 कार्य कम करते हुए शेष 67 कार्यों हेतु राशि रू. 226.14 लाख स्वीकृत किये गये है।

   सानिवि खण्ड, मेडता तह. रियांबडी के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 06 में Leftout Portion सड़क हेतु राशि 4.67 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। कुल 68 कार्यों में से 01 कार्य कम करते हुए शेष 67 कार्यों हेतु राशि रू. 226.14 लाख स्वीकृत किये गये है।

   नगर परिषद, नागौर के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया है उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है, उक्त वर्षा अत्यधिक वर्षा की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, नागौर।

शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.09.03 19:08:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17529631

eSign 1.0